न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः– श्री उत्तमसिह शेखावत, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः– **2017/217** दायर दिनाँक **27.07.2017**

वादीगण		प्रतिवादीगण
1. पांचूराम पुत्र प्रभुराम जाति माली निवासी सिंगीबास डीडवाना तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. प्रभुराम पुत्र ख्यालीराम 2. आचूकी पत्नी प्रभुराम 3. नाथुराम पुत्र प्रभुराम समस्त जाति माली निवासीगण सिंगीबास तहसील डीडवना जिला–नागौर, राजस्थान, 4. पुष्पा पुत्री प्रभुराम पत्नी सुखाराम जाति माली निवासी काटलावास डीडवाना 5. सुशीला पुत्री प्रभुराम पत्नी ईश्वरराम जाति माली निवासी बरागंना तहसील डीडवाना 6. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।

दावा बाबत् बंटवार व स्थाई निषेधाज्ञा,
अन्तर्गत 53, 188 R.T.Act.
में
प्रार्थना–पत्र
अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 C.P.C.

उपस्थितः–

1. श्री विकास ठोलिया, वकील, वादी की ओर से।
2. श्री जमनलाल जांगिड, वकील, प्रतिवादी संख्या 01 की ओर से।

–:: निर्णय ::–

दिनाँक **21.12.2017**

वाद में प्रतिवादी संख्या 01 प्रभुराम की ओर से प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सी.पी.सी. का पेश हुआ। प्रार्थना–पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि, वादी अप्रार्थी ने उपरोक्त उनवान प्रकरण वाद पत्र की विषय वस्तु विवादित कृषि भूमि खसरा सं0 1685 रकबा 04 बीघा 19 बिस्वा को पुश्तेनी व बुजुर्गो की होना दर्शित करते हुए अभिवचन किया है कि दादाजी श्री ख्यालीराम के मृत्यूपरान्त मुझ वादी के पिता श्री प्रभुराम प्रतिवादी सं0 01 प्रथम श्रेणी के वारिस/उत्तराधिकारी होने से विवादित खसरा की खातेदारी की प्रविष्टि जमाबन्दी में आयी है। जबकि

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व वाद संख्या–217/2017
दायर दिनाँक 27.07.2017 निर्णय दिनाँक 21.12.2017
पांचुराम बनाम प्रभुराम वगैरा।

उक्त भूमि विवादित खसरा सं0 1685 प्रार्थी प्रतिवादी सं0 01 की पंजीकृत विक्रय विलेख सं0 325/70 दिनांक 09.06.1970 से खरीद सुदा है। जिसकी प्रमाणित जमाबन्दी व विक्रय विलेख की प्रति संलग्न है। प्रार्थी प्रतिवादी सं0 01 की विवादित खसरा संख्या 1685 रकबा 04.19 बीघा वाके सिंघीबास डीडवाना पंजीकृत विक्रय विलेख 325/70 से खरीद सुदा होने से स्व0 अर्जित सम्पति है। जिसमें वादी एवं प्रतिवादीगण सं0 02 ता 05 का कोई हक अधिकार नहीं है।

उक्त विवादित खसरान की भूमि पंजीकृत विक्रय विलेख सं0 325/70 दिनांक 09.06.1970 से खरीद सुदा होन के कारण प्रार्थी प्रतिवादी सं0 01 के नाम से जमाबन्दी में खातेदारी की प्रविष्टि हो चुकी है। जिसकी वादी को पूर्णतया जानकारी है। इसके उपरान्त वादी ने पुश्तेनी भूमि का उल्लेख करते हुए बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद पत्र पेश किया है। जो झुठे व मनगढत तथ्यों के आधार पर केवल मात्र प्रतिवादीगण को तंग व परेशान करने हेतु पेश किया है।

प्रार्थी प्रतिवादी सं0 01 द्वारा विवादित भूमि खसरा सं0 1685 रकबा 04 बीघा 19 बिस्वा स्व0 अर्जित होने से अप्रार्थी वादी का उक्त विवादित खसरा में प्रार्थी प्रतिवादी सं0 01 के जीवनकाल में कोई हक व अधिकार अर्जित नहीं होने से दिनांक 13.07.2017 को उक्त भूमि विवादास्पद की बंटवारा की बात करने पर प्रार्थी प्रतिवादी सं0 01 का बबुला होने का कथन एवं धमकी देने की कहानी केवल मात्र प्रार्थी प्रतिवादीगण को तंग व परेशान कर जमीन को हडपने की नियत से बेईमानी पूर्वक यह कहानी बनाई गई है। अप्रार्थी वादी का उक्त स्थिति में बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद कारण प्राप्त नहीं हुआ है।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी प्रतिवादी सं0 01 का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वाद वादी खारीज किया जावें।

प्रार्थना पत्र की नकल वकील वादी को दिलाई गई। वकील वादी ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम में पिता के हक हिस्से व पिता की भूमि पिता के नाम भूमि में बेटे का जन्म से अधिकार प्राप्त हो जाता है। वादी का उक्त भूमि में 1/6 हिस्सा जरिये नोशनल शेयर बनता है और वह हिन्दु उत्तराधिकार के प्रावधानों के अनुसार प्रावधानों के अनुसार प्राप्त करने का अधिकारी है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र मय हर्जे व खर्चे के खारिज फरमावें।

विद्वान वकुलाय पक्षकारान् की सारगर्भित बहस सुनी गयी। वकील प्रतिवादी संख्या 01 प्रभुराम की बहस मुख्यतः प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सी.पी.सी. पर आधारित रही। वकील प्रतिवादी संख्या 01 प्रभुराम का तर्क है कि उक्त जायगा प्रतिवादी सं0 01 की खरीद सुदा स्वअर्जित जायगा है तथा पैत्रिक सम्पति नहीं है। स्वअर्जित जायगा में पिता के जीवित रहते पुत्र का कोई हक हिस्सा नहीं है। अतः वादी का वाद खारिज किया जावें।

वकील वादी की दलील है कि हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम में पिता के हक हिस्से व पिता की भूमि पिता के नाम भूमि में बेटे का जन्म

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

से अधिकार प्राप्त हो जाता है। वादी का उक्त भूमि में 1/6 हिस्सा जरिये नोशनल शेयर बनता है और वह हिन्दु उत्तराधिकार के प्रावधानों के अनुसार प्रावधानों के अनुसार प्राप्त करने का अधिकारी है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमावें।

बहस के तर्को पर मनन किया। रेकर्ड का अवलोकन किया। तर्को पर मनन करने एवं रेकर्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि वाके सरहद डीडवाना के खसरा संख्या 1685 रकबा 04 बीघा 19 बिस्वा भूमि प्रतिवादी सं0 01 की स्वअर्जित भूमि है। जिसमें पिता के जीवित रहते पुत्र का कोई हक अधिकार नहीं है।

अतः वाद में पेश प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सी.पी.सी. का स्वीकार किया जाने योग्य होने से व वाद वादी इस न्यायालय में पोषणीय नहीं होने से, वाद वादी खारिज किया जाना हमारे मत उचित प्रतीत होता है।

अतः बाद विवेचन, वाद में प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सी.पी.सी स्वीकार किया जाता है।

–:: **आदेश** ::–

वाद में प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सी. पी.सी स्वीकार किया जाकर, वाद वादी पोषणीय नहीं होने से खारिज किया जाता है।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

निर्णय आज दिनाँक **21.12.2017** को सरे इजलास में सुनाया गया।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

डिगरी बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः– सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : **श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **2017/217** दायर दिनांक **27.07.2017**

वादीगण		प्रतिवादीगण
1. पांचूराम पुत्र प्रभुराम जाति माली निवासी सिंगीबास डीडवाना तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. प्रभुराम पुत्र ख्यालीराम 2. आचूकी पत्नी प्रभुराम 3. नाथुराम पुत्र प्रभुराम समस्त जाति माली निवासीगण सिंगीबास तहसील डीडवना जिला–नागौर, राजस्थान, 4. पुष्पा पुत्री प्रभुराम पत्नी सुखाराम जाति माली निवासी काटलाबास डीडवाना 5. सुशीला पुत्री प्रभुराम पत्नी ईश्वरराम जाति माली निवासी बरागंना तहसील डीडवाना 6. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।

दावा बाबत् बंटवार व स्थाई निषेधाज्ञा,
अन्तर्गत 53, 188 R.T.Act.
में
प्रार्थना–पत्र
अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 C.P.C.

दिनांक 21.12.2017

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री विकास ढोलिया अधिवक्ता वादी व श्री जमनलाल जांगिड अधिवक्ता प्रतिवादी सं0 01 की ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वाद में प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सी.पी.सी स्वीकार किया जाकर, वाद वादी पोषणीय नहीं होने से खारिज किया जाता है। डिक्री जारी हो।

नीज..........–.......... मुबलिंग............–.............. बाबत....................–....................खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह..........–.......... आज की तारीख को अदा करें।बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख **21.12.2017** को सरे इजलास में जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना
सहायक कलक्टर डीडवाना (नागौर)

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक	– –		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

नोटः–इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलक्टर
डीडवाना
सहायक कलक्टर डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner